

36651 - कुर्बानी करने का समय

प्रश्न

कुर्बानी करने का समय क्या है?

विस्तृत उत्तर

कुर्बानी के जानवर को ज़बह (वध) करने का समय ईदुल अज़हा की नमाज़ के बाद आरंभ होता है, और जुल-हिज्जा के महीने के तेरहवें दिन सूर्यास्त तक रहता है। अर्थात् ज़बह के दिन चार हैं : एक कुर्बानी का दिन और उसके बाद तीन दिन।

अफज़ल (सर्वश्रेष्ठ) यही है कि ईद की नमाज़ के बाद ज़बह करने में जल्दी की जाए, जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम करते थे। फिर ईद के दिन सबसे पहले अपनी कुर्बानी के गोشت से खाना चाहिए।

इमाम अहमद (हदीस संख्या : 22475) ने बुरैदा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत किया है, वह कहते हैं कि : (रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ईदुल-फित्र के दिन सुबह कुछ खाकर जाते थे। और ईदुल अज़हा के दिन वापस आकर अपनी कुर्बानी (के गोشت) से खाते थे।

ज़ैलई ने "नसबुरायह" (2/221) में इब्नुल-क़त्तान से वर्णन किया है कि उन्होंने ने इस हदीस को सहीह कहा है।

इब्नुल क़ैयिम रहिमहुल्लाह "ज़ादुल मआद" (2/319) में कहते हैं :

"अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं : कुर्बानी करने के दिन यह हैं : यौमुन्नह (दस जुल-हिज्जा) और उसके बाद तीन दिन। बसरा वालों के इमाम हसन, मक्का वालों के इमाम अता बिन अबी रिबाह, शाम वालों के इमाम अवज़ाई और फुक़हाउल हदीस के इमाम शाफ़ेई रहिमहुल्लाह का मत यही है। और इसी को इब्ने मुन्ज़िर ने भी अपनाया है। और इसलिए कि इन तीनों दिनों की यह विशेषता है कि वे सब मिना के दिन, कंकड़ी मारने के दिन और तशरीक के दिन हैं, तथा इन दिनों का रोज़ा रखना हराम (निषिद्ध) है। तो इस तरह ये इन अहकाम (प्रावधानों) में भाई (यानी बराबर) हैं। तो फिर बिना किसी शर्ई नस (कुरआन या हदीस के स्पष्ट प्रमाण) और इज्माअ (विद्वानों की सर्वसहमति) के ज़बह की वैधता में भिन्न कैसे हो सकते हैं। तथा नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से दो विभिन्न तरीकों से वर्णित है जो एक दूसरे को मज़बूत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया : "मिना सब का सब ज़बह का स्थान हैं और तशरीक के सभी दिन ज़बह के दिन हैं।" अंत हुआ।

इस हदीस को शेख अल्बानी ने अस-सिलसिला अस-सहीहा (हदीस संख्या : 2476) में सहीह करार दिया है।

शेख इब्नेउसैमीन रहिमहुल्लाह "अहकामुलउज़्हिया" में कुर्बानी के समय के संबंध में फरमाते हैं:

“कुर्बानी का समय कुर्बानी के दिन ईद की नामज़ के बाद से तश्रीक़ के अंतिम दिन अर्थात् तेरहवीं जुलहिज्जा के दिन सूर्यास्त तक है। इस तरह ज़ब्ह (बलि) के दिन चार हैं : नमाज़ के बाद से ईद का दिन, और उसके बाद अतिरिक्त तीन दिन। अतः जिसने ईद की नमाज़ से फारिग होने से पहले, या तेरहवीं जुलहिज्जा को सूरज डूबने के बाद कुर्बानी किया तो उस की कुर्बानी सही (मान्य) नहीं है। . . . किन्तु यदि किसी कारणवश तश्रीक़ के दिन (13 जुल-हिज्जा) से विलंब हो जाए, उदाहरण के तौर पर बिना उसकी कोताही के कुर्बानी का जानवर भाग जाए, फिर वह समय निकल जाने के बाद ही मिले, या वह किसी को कुर्बानी करने के लिए प्रतिनिधि (वकील) बना दे और वकील भूल जाए यहाँ तक कि कुर्बानी का समय निकल जाए, तो उज़्र के पाए जाने के कारण तथा उस आदमी पर क्रियास करते हुए जो नमाज़ से सो जाने या उसे भूल जाने की स्थिति में सोकर उठने या उसके याद आने पर नमाज़ पढ़ता है, समय निकलने के बाद कुर्बानी करने में कोई बात नहीं है।

तथा निर्धारित समय के अंदर दिन और रात में किसी भी समय कुर्बानी करना जायज़ है, जबकि दिन में कुर्बानी करना श्रेष्ठ है, और ईद के दिन दोनों खुर्बों के बाद कुर्बानी करना अफ़ज़ल है। तथा हर दिन उसके बाद वाले दिन से श्रेष्ठ है, क्योंकि इसमें भलाई की तरफ़ पहल और जल्दी करना पाया जाता है।” संक्षेप के साथ अंत हुआ।

“फ़तावा स्थायी समिति” (11/406) में आया है कि :

“उलमा (विद्वानों) के सबसे सही कथन के अनुसार हज्जे तमत्तो, हज्जे क़िरान की हदी के जानवर और कुर्बानी के जानवर को ज़ब्ह करने के दिन चार हैं : एक ईद का दिन और तीन दिन उसके बाद, और ज़ब्ह करने का समय चौथे दिन सूर्यास्त पर समाप्त होता है।” संपन्न हुआ।